न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::— 92/2024

1. नारायणी बाई पत्नी स्व. हीरालाल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
2. शंभुलाल पिता स्व. हीरालाल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
3. कैलाशचन्द्र पिता स्व. हीरालाल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कालू पिता उदा बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
2. मोहन पिता अमरा बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
3. मांगीलाल पिता अमरा बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
4. जीतमल पिता लालू बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
5. शंकर पिता मांगीलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
6. लादु पिता मांगीलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
7. रतन पिता मांगीलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
8. श्यामलाल पिता बालू बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
9. जमनालाल पिता सुखलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
10. मदनलाल पिता सुखलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
11. हगामी पत्नी उंकार बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
12. कन्हैयालाल पिता तेजपाल उर्फ तेजराम ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
13. रंगलाल पिता तेजपाल उर्फ तेजराम ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
15. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय जी चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :— 10.03.2025

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आवंलहेडा में वादीगण के पिता हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 एवं नानालाल के पिता तेजराम उर्फ तेजपाल की कयशुदा कब्जे काश्त की कृषि आराजी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01., 04, 05, 08, 11 व 02, 03, व 5 की माता 06, 07, 09, व 10 के पिता के नाम स्थित है। जिसके खाता संख्या 482 आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर स्थित है।

यह कि उक्त कृषि आराजी के पुराने आराजी संख्या 424/613 व 423/91 होकर सेटलमेन्ट पूर्व उक्त भूमि पर लालू पिता जयचन्द्र बोला का नाम अंकित था लेनि उक्त लालू पिता जयसिंह बोला ने उक्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता तेजराम व हीरालाल पिता भारमल को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होन से पूर्व सम्वत 2007 में विकय कर विकय प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था। जिसकी एक टीप भी उक्त लालू पिता जयसिंह ने तेजराम व हीरालाल के पक्ष में निष्पादित कर दी थी।

यह कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात लालू पिता जयसिंह बोला ने चतुरर्भुज खेमा सुरजमल वल्द उंकार धाकड से 400 रूपये में कय कर दिनांक 20.06.50 सम्वत 2007 में स्टाम्प पर विकय पत्र लिखवा कर कय की थी एवं उसी सम्वत 2007 में लालू पिता जयसिंह बोला ने उक्त भूमि वादी के पिता व पति हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता तेजराम को विकय कर उसी स्टाम्प के पीछे विकय टीप निष्पादित कर उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12,13 के पिता को कब्जे में सिपुर्द कर दी थी तब से ही उक्त वाद वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 व 13 अपने अपने हक हिस्से अनुसार निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त कर रहे है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 तक के पूर्वज लालू जी ने चतुरभुज वगैरा से कय करते ही वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता को विकय कर दी थी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि उक्त वाद वर्णित भूमि मे 1/2 हिस्सा वादीगण का व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 12 का 1/2 का 2/3 व प्रतिवादी संख्या 13 का 1/2 का 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक मौखिक विभाजन से विभाजन कर लिया जिस अनुसार प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के एक और भाई नानालाल का इस भूमि में पारिवारिक विभाजन के तहत कोई हिस्सा नहीं रहा इसलिये उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को वादीगण ने खातेदारी अधिकार के लिये वाद में वादी बनने हेतु कहा तो उक्त प्रतिवादीगण ने वादी बनने से मना कर कहा कि हमारी भूमि को हमारे नाम करा लेगें। हमे आपके साथ वादपत्र में वादी नहीं बनना है इसलिये इस वादपत्र में इन्हें प्रतिवादी बनाया गया है।

यह कि वादीगण के पूर्वजो द्वारा समवत 2007 सन 1950 में ही भूमि कर लेने से उक्त स्थानान्तरण पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं होने से वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के वैद्य अधिकारी है।

यह कि उक्त वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त होने के कारण एवं वादीगण के पिता को कानूनी जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा खातेदारी की घोषणा बाबत कार्यवाही नहीं की गई लेकिन उक्त तथ्य वादीगण की जानकारी में आते ही वादीगण ने दिनांक 25.10.2024 को प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादीगण के नाम कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। वाद कारण दिनांक 25.10.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देने व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में होने के कारण विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हो पाने के कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वादपत्र घोषणापत्र खातेदारी का होकर अन्दर अवधि पेश है, साथ ही वाद वर्णित कृषि भूमि ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको होने से वाद पत्र आपमें पेश है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने के वैध अधिकारी है कि :—

1— कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजी जिसके वर्तमान आराजी संख्या 172 पुराने आराजी संख्या 424/613 व 423/91 को वादीगण के पिता हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता तेजराम उर्फ तेजपाल द्वारा सम्वत 2007 सन 1950 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होन से पूर्व कय कर लेने से वादीगण को 1/2 व प्रतिवादी संख्या 12 को 1/2 हिस्से का 2/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 13 का 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

2— कि वकील मेहनताना व खर्चा मुकद्मा भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

3— कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो वादीगण को प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 12 व 13 तक की ओर से अधिवक्ता श्री तूफानसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 तक की ओर से ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र की सभी चरण कलम को स्वीकार किया गया तथा वादीगण द्वारा चाही गई घोषणा कराया जाना न्यायोचित बताया है। पत्रावली मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 11 तक न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

इस प्रकार दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 12 व 13 द्वारा ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक के द्वारा तामील लेने से इन्कार किया जाने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाने तथा तहसीलदार बेगूँ व राज सरकार के प्रतिनिधी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से पत्रावली में साक्ष्य वादीगण हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी नारायणीबाई पत्नी स्व.हीरालाल जी ब्राम्हण निवासी करणपुरिया के व गवाह समरथ लाल पिता प्यारचंद्र ब्राम्हण तथा गवाह सुरेश पिता प्यारचंद्र ब्राम्हण के प्रस्तुत किये गये जिनसे मुख्यपरीक्षण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा अन्य वादीगण के बयानो को कलमबद्ध किया गया अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह नही किये जाने से जिरह निल रही तथा पुनःपरीक्षण भी निल रहा है। इस प्रकार प्रकरण में साक्ष्य वादीगण की एक तरफा पूर्ण होने के उपरान्त दावा पत्रावली में वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि वादीगण के पिता व पति द्वारा तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता लालू पिता जयसिंह बोला से कय की थी भूमि चूँकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की है लेकिन यह भूमि वर्ष 1950 में कय की गई थी उस वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हुए थे।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पुत्री ने (सिविल 2023(4) डी.एन.जे.(राज.)1782) राजस्थान हाई कोर्ट कि नजिर पेश है जिसमें भूमि क्रय करने में कोई विधिक आपत्ति नहीं थी। वैसे भी यह भूमि विक्रेता लालू पिता जयसिंह द्वारा चतुर्भुज खेमा सुरजमल वल्द ऊंकार धाकड से 400/- रूपये में खरीद सम्वत 2007 में की थी तथा उसी सम्वत 2007 में यह भूमि वादीगण के पिता व पति को तथा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता को विक्रय कर एक लिखित तहरीर निष्पादित की थी जो कि इस दावा पत्रावली में प्रदर्श- 3 मूल ही विद्यमान है। भूमि पर कब्जा के संबंध में ही कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का लगातार चला आ रहा है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार करमाया जाकर वांछित कृषि आराजी की घोषणा की आज्ञप्ति प्रदान करमावे।

पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुने जाने के उपरान्त दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्न लिखितानुसार करते हुए वादपत्र का निर्णय किया जाता है :-

प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी मौजा आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा के खाता संख्या 492 में दर्ज आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर भूमि की है उक्त भूमि के खातेदार नाबालिग कालू पुत्र जदा संरक्षक सरपरस्त काका श्यामलाल हिस्सा 1/12 जाति बोला सा.धनोरा खातेदार, कलीबाई पुत्री लालू हिस्सा 1/6 जाति बोला सा. धनोरा खातेदार, जीतमल पुत्र लालू हिस्सा 1/26 जाति बोला सा.धनोरा खातेदार, नानीबाई पुत्री लालू हिस्सा 1/6 जाति बोला सा. धनोरा खातेदार, मांगीलाल पुत्र लालू हिस्सा 1/6 जाति बोला सा. धनोरा खातेदार, 1/12 जाति बोला सा. धनोरा खातेदार, श्यामलाल पुत्र कालू हिस्सा धनोरा खातेदार, श्यामलाल पुत्र ऊंकार हिस्सा 1/12 जाति बोला सा. धनोरा खातेदार व हगामी पत्नि स्व. ऊंकार हिस्सा 1/12 जाति बोला सा. धनोरा खातेदार दर्ज अंकित है। इस दस्तावेज से वादपत्र स्पष्ट हो ता है कि यह वर्तमान वादवर्णित कृषि भूमि मौजा आंवलहेडा के आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम पर दर्ज अंकित है।

प्रदर्श- 2 उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर भूमि के नक्शाट्रेस की नकल है।

प्रदर्श- 3 एक लिखित स्टाम्प है जो कि एक रूपया पचास नये पैसा पर लिखा हुआ है जो कि काफी पुराना होने से स्पष्ट पढने में नही आता है लेकिन इस स्टाम्प की इबारत को महनता से देखे जाने पर यह पाया गया है कि यह लिखित भूमि विक्रय सम्बन्धी सम्वत 2007 की है जिसमें चतुर्भुज खेमा सुरजमल वल्द ऊंकार धाकड द्वारा 400/-रूपये के एवज में लालू पिता जयसिंह बोला को आराजी संख्या 423 मे से 1बीघा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 424 मे से 6बीघा 8 बिस्वा कुल जुमला कीता-2 रकबा 7बीघा 13 बिस्वा भूमि को बेचान किया गया है। यह स्टाम्प सम्वत 2007 का तारीख 20.06.1950 को लिखाया गया है। इसी स्टाम्प के पृष्ठ (पीछे की ओर) ही लालू पिता जयसिग बोला द्वारा भूमि का विक्रय वादीगण के पिता व पति हीरालाल पिता भारमल ब्राम्हण व तेजराम ब्राम्हण को किया जाना स्पष्ट अंकित होता है। इस दावा पत्रावली में यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चूँकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान 1955 में लागू हुए है लेकिन यह भूमि का विक्रय सन 1950 को किया जाने से इस खरीदशुदा भूमि पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान या अनुसूचित जाति जनजाति के प्रावधान लागू नहीं होते है। साथ ही भूमि पर कब्जा काश्त भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का होकर भूमि उनके ही कब्जेकाश्त में है। जहाँ तक भूमि को इस स्टाम्प के आधार पर वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 द्वारा अपने खाते में कराने हेतु कार्यवाही नहीं किया जाने का कारण वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता को कानूनी की जानकारी नहीं होना बताया है। इस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 12 व 13 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के द्वारा न्यायालय का सम्मन लेने से इन्कार किया जाने इस दस्तावेज को सही माना जाता है।

प्रदर्श-4 नकल भू प्रवन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग सम्वत 2021 की नकल है जो मौजा आंवलहेडा की है जिसमें वादवर्णित नवीन आराजी संख्या 172 रकवा 10बीघा 14 बिस्वा भूमि के गत आराजी संख्या 424रकवा 6बीघा 8 बिस्वा व आराजी संख्या 423 रकवा 1बीघा 5 बिस्वा होना अंकित होकर कॉलम संख्या 23 व 24 में श्री लालू पिता जयसिंह बोला धनोरा का नाम अंकित है। इस दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि गत आराजी संख्या 423 व 424 के नवीन आराजी संख्या 172 है।

प्रदर्श-5 नकल जमावंदी मौजा आंवलहेडा की सम्वत 2016 से सम्वत 2020 तक की है तथा प्रदर्श-6 नकल जमावंदी सम्वत 2016 से 2020 तक की मौजा आंवलहेडा की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 424 व 423 के खातेदार चतुर्भुज वगै. व लालु पिता जयसिंह बोला दर्ज है।

प्रदर्श-7 एव प्रदर्श-8 नकल खसरा गिरदावरी मौजा आवलहेडा के आराजी संख्या 172 रकवा 10बीघा 14 बिस्वा भूमि की है जो कि सम्वत 2030, 2031, 2032, 2033 व 2034 व 2035 तक की है, इस खसरा गिरदावरी में सम्वत अनुसार गेहुँ, चना व मोठ आदि फसल को बोया जाना अंकित है तथा काश्तकार श्री तेजपाल व हीरालाल पिता भारमल ब्राम्हण का नाम अंकित किया गया

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यानि यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 172 पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता तेजमाल का ही चला आ रहा है।

प्रदर्श–9 नकल खसरा गिरदावरी (चतुर्थ वर्षीय) जो कि मौजा आंवलहेडा की सम्वत 2017, 2018, 2019 की जिसमें आराजी संख्या 423 व 424 के काश्तकारी तो लालू पिता जैसिंह बोला धनोरा दर्ज है किन्तु जो जिन्स दर्ज की गई वह हीरालाल तेजमाल द्वारा किया जाना दर्ज अंकित किया है।

प्रदर्श–10 भी नकल खसरा गिरदावरी की है, जिसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त सभी दस्तावेज प्रदर्श– 1 से 10 तक का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान आराजी मौजा आंवलहेडा की आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता हीरालाल व उनके भाई तेजराम उर्फ तेजपाल का जबसे भूमि क्रय की गई थी तभी से लगातार चला आ रहा है, क्यो कि पत्रावली मे प्रस्तुत सभी खसरा गिरदावरी मे सम्वतानुसार इनके नाम अंकित किये हुए है। साथ ही जो इस दावा पत्रावली मे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह प्रदर्श–3 विक्रय आराजी का स्टाम्प है जो कि एक रूपया पचास नये पैसे पर निष्पादित किया गया है, उसमें भी गहनता से एवं घोरदृष्टि पढे जाने पर वादीगण के वाद पत्र की सत्यता स्पष्ट होती है कि वादवर्णित कृषि आराजी जिसके कि पुराने आराजी संख्या 423 रकबा 6बीघा 8बिस्वा एवं आराजी संख्या 423 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा भूमि को लालू पिता जयसिंग बोला के द्वारा दिनांक 20.6.1950 यानि सम्वत 2007 को 400/– रूपये में चतुर्भुज खेमा सुरजमल वल्द उंकार धाकड से खरीद किया था तथा उसी स्टाम्प पर लालू पिता जयसिंग बोला क्रयशुदा भूमि को वादीगण के पिता व पति श्री हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पिता तेजपाल को विक्रय कर दी थी यह तथ्य स्टाम्प से स्पष्ट होता है। जहॉं तक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा भूमि जरनल जाति को विक्रय का कथन है तो हमारे द्वारा निर्णय के उपर स्पष्ट किया गया है कि भूमि का विक्रय दिनांक 20.06.1950 यानि सम्वत 2007 को किया गया था उस वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं था ना ही अनुसूचित जाति जन जाति के प्रावधान बने थे, प्रावधान बनने से पूर्व के समस्त विक्रय लिखे गये स्टाम्प विधिअनुसार मान्य होता है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक के खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध कोई दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो उन प्रतिवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए था जबकि उनके द्वारा न्यायालय का सम्मन ही नही लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक का कोई लेना देना अब नहीं रहा है, और ना ही उनका कब्जा काश्त ही है। ऐसी स्थिती में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा की कृषि आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक का नाम हटाया जाता है उक्त भूमि मे वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 12 को 1/2 हिस्से का 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 13 को 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें। दावा डिक्री किया जाता है। डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :– 92 / 2024

1. नारायणी बाई पत्नी स्व. हीरालाल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
2. शंभुलाल पिता स्व. हीरालाल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
3. कैलाशचन्द्र पिता स्व. हीरालाल ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कालू पिता उदा बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
2. मोहन पिता अमरा बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
3. मांगीलाल पिता अमरा बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
4. जीतमल पिता लालू बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
5. शंकर पिता मांगीलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
6. लादु पिता मांगीलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
7. रतन पिता मांगीलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
8. श्यामलाल पिता बालू बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
9. जमनालाल पिता सुखलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
10. मदनलाल पिता सुखलाल बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
11. हगामी पत्नी उंकार बोला निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
12. कन्हैयालाल पिता तेजपाल उर्फ तेजराम ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
13. रंगलाल पिता तेजपाल उर्फ तेजराम ब्राम्हण निवासी करणपुरिया तह0 बेगूँ
14. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
15. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय जी चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 10.03.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा की कृषि आराजी संख्या 172 रकबा 1.7320 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक का नाम हटाया जाता है उक्त भूमि मे वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 12 को 1/2 हिस्से का 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 13 को 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें। दावा डिक्री किया जाता है। डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 22025 / 141 दिनांक :– 18-3-25

दावा संख्या 92 / 2024 व अनवान नारायणीबाई बनाम कालू वगै दावा 88–188 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ